न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 21 /2016 आवन्टन निरस्ती

उनवान

1.श्री जसवन्तसिंह पिता सार्दुलसिंह राजपूत 2.श्री रतना पिता नन्दा अहीर 3.श्री खुमाणसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासियान हिंगोनिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1.श्री खाना पिता रामा गाडरी निवासी हिगोंनिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
---प्रार्थीगण		**---विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 14(4) रा0भू0रा0(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ बमामले पत्रावली संख्या 71/1996 निर्णय दिनांक 22/9/1996

उपस्थितः– श्री राकेश चौहान, अधि0, प्रार्थीगण
श्री प्रकाश सारस्वत अधि0 विपक्षी

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 28.03.2017

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1970 की धारा 14(4) (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ बमामले आवंटन पत्रावली संख्या 71/1996 आवंटन दिनांक 22/09/1996 के खिलाफ दिनांक 02/08/2016 को प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि विपक्षी मोजा हिंगोनिया की आराजी नं0 5मी में रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जो नियम विरूद्ध होकर काबिल निरस्ती के है। वर्तमान में आवंटन भूमि का खसरा नं0 543/5 है। विपक्षी को आवंटित भूमि का न तो कब्जा दिया गया एवं न ही उसका जरिये काश्त के कब्जा रहा है, भूमि पड़त होकर मौके पर प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा बनाये हुये बाड़े हैं जो वर्तमान में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे में चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के कब्जे वाले बाड़ो की

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

स्थाई सीमा बन्दी हो रखी है उनके मवेशी बांधे जाते हैं व फसल व मवेशियों के लिए चारा रखा जाता है। खसरा गिरदावरी अनुसार भी विपक्षी ने आवंटन शर्तों की कोई पालना नहीं की न ही प्रार्थीगण का मौके से कब्जा हटा कब्जा प्राप्त किया गया। विपक्षी द्वारा भूमि आवंटन हेतु दिये गये आवंदन में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण मिस–रि–प्रजेन्टेशन एवं फ्रोड के आधर पर भूमि का आवंटन करवाया गया है। आवंटन समिति के समक्ष भूमि रिक्त होने के तथ्य लेण्ड होल्डर एवं पटवारी हल्का द्वारा गलत प्रस्तुत किये गये। जबकि भूमि आबादी क्षेत्र से सटी हो आस–पास की भूमि पर काफ़ी बाड़े बने हुये हैं। वर्तमान में करीब 22 दिन पूर्व विपक्ष्जी ने जमाबन्दी के आधार पर पत्थरगढी करवायी तो उसमें भी कब्जा प्रार्थीगण का दर्शाया हुआ है।

अतः विपक्षी को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 22/09/1996 को अपास्त फरमा भूमि ख0नं0 543/5 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को बिलानाम दर्ज कराने के आदेश फरमावें।

अपने आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र के साथ मियाद हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में मय शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण को विपक्षी का हुये आवंटन की 20–22 दिन पूर्व आवंटन की जानकारी के आधार पर व्यतीत अवधि क्षमा फरमा आवंटन निरस्त कराने के आवेदन को समय सीमा में मान सुनवाई हेतु स्वीकार फरमाया जाने हेतु निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01/09//016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड तलब किया गया।

विपक्षी की ओर अधिवक्ता नियुक्त होकर जरिये अधिवक्ता दिनांक 25/10/2016 को अपना जवाब प्रस्तुत करते हुये विपक्षी के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 से लगायत 7 गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी को भूमि का आवंटन सही व नियमों के अन्तर्गत काफी समय पहले किया और विपक्षी आवंटन शुदा भूमि पर काश्त कर रहा है और सभी नियमों की पालना करते हुए आवंटन किया गया। विपक्षी को नियमानुसार आवंटन किया जाकर कब्जा सौंपा गया और वर्षों से विपक्षी का कब्जा होकर विपक्षी काश्त कर रहा है और विपक्षी के खातेदारी भी हो चुकी है। आवंटित भूमि से विपक्षी ने किसी का कब्जा नहीं हटाया क्योंकि विपक्षी को सरकार द्वारा कब्जा दिये जाने पर ही कब्जा किया गया। विपक्षी के द्वारा गलत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही कोई मिस–रि–प्रजेन्टेशन एवं फ्रोड के आधार पर आवंटन कराया बल्कि नियमानुसार मजमे आम में आवंटन किया गया। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील खारीज फरमाई जावे तथा आवंटन यथावत रखाया जावे।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन पत्र राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघुसिंचित परियोजना राज0भूमि आवंटन) नियम 1975 के अन्तर्गत भूमि आवंटन की प्रमाणित प्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का धाकडखेड़ी दिनांक 21/9/1996 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आ0नं0 5 मी में से विपक्षी श्री खाना गाडरी को आवंटित रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की प्रमाणित प्रति, आवंटित भूमि का कब्जा सिपुर्दगीनामा दिनांक 22/1/97 की प्रमाणित प्रति, इकरारनामा दिनांक 2/10/96 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी ग्राम हिंगवानिया प0म0धाकड़खेड़ी त0माण्डलगढ सम्वत् 2070–2073 आ0नं0 543/5 की फोटो प्रति, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2054 से 2057 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। अन्य कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किए ।

पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ की आवंटन पत्रावली संख्या 71/96 आवंटन दिनांक 22/09/1996 संलग्न है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी–अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से लगायत 7 को दोहराते हुए अपील को स्वीकार फरमा विपक्षी को किए गए आवंटन को खारीज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया है ।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी विपक्षी को नियमानुसार आवंटन किया गया। आवंटन कमेटी द्वारा सभी नियमों की पालना करते हुए उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ द्वारा प्रकरण संख्या 71/1996 दर्ज कर दिनांक 22/9/1996 को फैसल फरमाते हुए विपक्षी को 1 बीघा 10बिस्वा भूमि आवंटन की गई जिसके आराजी नम्बर 543/5 दर्ज हुए और जमीन खातेदारी हक अधिकारों से दर्ज हुई है जो जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में दर्ज है और विपक्षी अपनी भूमि पर काश्त कर रहा है । इस प्रकार नियमानुसार आवंटन किया गया जो कतई खारीज होने योग्य नहीं है। विपक्षी को आवंटन करते समय जो भी आवंटन की शर्तें थी उसका बराबर पालन किया गया और नियमानुसार विपक्षी को आवंटन शुदा जमीन का कब्जा दिया और विपक्षी ने लाखों रूपये खर्च कर जमीन को उपजाऊ बनाया तथा मेहनत की आवंटन शुदा जमीन खातेदारी हक दर्ज हुई। इस प्रकार आवंटन कतई खारीज होने योग्य नहीं है। वकील विपक्षी के द्वारा अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में यह कहकर आये कि विपक्षी को कृषि प्रयोजन हेतु जिस भूमि का आवंटन किया गया है, वो विधि के विरूद्ध था विपक्षी ने जिस भूमि का आवंटन कराया है उस आवंटनशुदा भूमि पर कोई काश्त न कर आवंटनशर्तो का उल्लघंन किया है । आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर मौके पर बाड़े बने हुए हैं तथा भूमि में कोई काश्त नहीं हो रही है । उक्त भूमि की पत्थरगढी कराई जिसमें भी कब्जा प्रार्थीगण का दर्शाया गया परन्तु उक्त कथन की ताईद में प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। विपक्षी को आवंटित भूमि का कब्जा पटवारी हल्का धाकड़खेड़ी के द्वारा दिनांक 22/01/1997 को दिए जाने की पुष्टि उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ की पत्रावली संख्या

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

71/96 में संलग्न कब्जा सिपुर्दगीनामा दिनांक 22.01.1997 से होती है। विपक्षी खाना गाडरी को राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघुसिंचित परियोजना राज0भूमि आवंटन) नियम 1975 के अन्तर्गत भूमि का कीमतन आवंटन किया। वर्तमान रिकॉर्ड में आराजी नं0 543/5 रकबा 1बीघा 10बिस्वा भूमि ग्राम हिंगवानिया विपक्षी खाना पिता रामा गाडरी के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के द्वारा रा0भू0रा0 अधिनियम की धारा 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कतई चलने योग्य नहीं है क्योंकि आवंटित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है जबकि 14(4) के नियम नोन कमाण्ड क्षेत्र की आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्ती के लिए लागू होते हैं। आवंटनशुदा भूमि में उपलब्ध सुपुर्दगीनामा से सिद्ध है कि आवंटी को जो भूमि आवंटन की गई उसका विधिवत् रूप से हल्का पटवारी द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया व सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने हेतु आदेश जारी किये गये है। कृषि प्रयोजनार्थ भू–आंवटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में यह सिद्ध होना आवश्यक है कि आवंटी ने भू–आवंटन कमेटी के समक्ष छल–कपट करके किन्ही तथ्यों को छिपाते हुये भूमि का आवंटन कराया हो अथवा आवंटनशर्तो की पालना नहीं की हो या आवंटी सद्भावी काश्तकार नहीं है तो उस परिस्थिति में आंवटन को निरस्त योग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन यहां पर प्रार्थीगण इन तथ्यो को प्रमाणित कराने में सफल नहीं हुये कि आवंटी ने किन तथ्यों को छिपाते हुये भूमि का आवंटन कराया है। इस प्रकार ऊपर किये गये विवेचन से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कोई बल नहीं मिलता है। आवेदन प्रार्थीगण अस्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थीगण सिद्ध कराने में सफल नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर विपक्षी खाना पिता रामा गाडरी निवासी हिंगवानिया के पक्ष में किया गया भू–आवंटन दिनांक 22/09/1996 को यथावत रखा जाता है। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय के प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार को प्रेषित किया जावे तथा निर्णय की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा